न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी — उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 35/2020

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री दमन सिंह उम्र 42 वर्ष जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.......वादी

बनाम

1. दम्मन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री बुध सिंह
2. जसवीर कौर पत्नी श्री दम्मन सिंह
3. अमृतपाल कौर पत्नी स्वर्गीय श्री सुखविन्द्र सिंह
4. नूरइन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सुखविन्द्र सिंह उम्र करीब 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अमृतपाल कौर पत्नी सुखविन्द्र सिंह
5. हरमनदीप कौर नागी पुत्री स्वर्गीय श्री सुखविन्द्र सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासीयान चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
6. नवदीप कौर (पुत्री दम्मन सिंह) पत्नी श्री नाजम सिंह जाति तरखान निवासी 10 ए छोटी, ठाकरवाली ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित— अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी—1 से 6)
पैरोकार राज (प्रति.—7)

दिनांक 04.08.2020

—:: निर्णय ::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 दम्मन सिंह, वादी के पिताजी है। चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072—2075 के संयुक्त खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 7, 11 की कुल 4.478 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 3011/4478 हिस्सा यानि 3.011 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 (दमन सिंह पुत्र बुधसिंह) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। इसी चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072—2075 के संयुक्त खाता संख्या 56/52 के मुरब्बा नम्बर 9, 46, 50, 54, 55, 61 की कुल 10.765 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 3462/10765 हिस्सा यानि 3.462 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1(दमन सिंह पुत्र बुधसिंह) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है तथा इसी चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072—2075 के संयुक्त खाता संख्या 141/111 के मुरब्बा नम्बर 49, 56 की कुल 1.683 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 596/1683 हिस्सा यानि 0.596 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1

Scanned with CamScanner

(दमण सिंह पुत्र बुध सिंह) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के संयुक्त खाता संख्या 106 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 0.126 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.042 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 (दमन सिंह पुत्र बुध सिंह) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है चक 9 एफ बड़ा के खाता संख्या 55/51, खाता संख्या 56/52, खाता संख्या 141 व 106 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी बुध सिंह पुत्र सज्जन सिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए बंटवारा के नामान्तरण संख्या 158 दिनांक 10.09.1986 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई तथा वादी की दादाजी धनकौर पत्नी बुधसिंह, के स्वर्गवास होने के बाद विरास्तन नामान्तरण संख्या 296 दिनांक 10/05/2002 के द्वारा एवं विरास्तन सम्पति में हकपरित्याग नामान्तरण संख्या 418 दिनांक 20/11/2007 द्वारा भी प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त विरास्त सम्पति की आय से मुरब्बा नम्बर 7, 11 की 3.011 हैक्टर कृषि भूमि स्वयं के नाम से तथा 1.467 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 जसवीर कौर के नाम से खरीद की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी बुधसिंह से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने एवं विरास्तन सम्पति की आय से खरीद की हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 9 एफ बड़ा के नामान्तरण संख्या 158, 296, 418, 121 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :-

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
कुलविन्द्र सिंह पुत्र दम्मन सिंह, नूरइन्द्रसिंह पुत्र सुखविन्द्रसिंह जाति तरखान निवासीयान चक 10 एफ बड़ा ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ब:हिस्सा बराबर बराबर	चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के संयुक्त खाता संख्या 56/52 के मुरब्बा नम्बर 9, 46, 50, 54, 55, 61 की कुल 10.765 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से दमन सिंह पुत्र बुधसिंह के नाम दर्ज 3462/10765 हिस्सा यानि 3.462 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के संयुक्त खाता संख्या 141/111 के मुरब्बा नम्बर 49, 56 की कुल 1.683 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से दमण सिंह पुत्र बुध सिंह के नाम दर्ज द्य 596/1683 हिस्सा यानि 0. 596 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के संयुक्त

Scanned with CamScanner

	खाता संख्या 106 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 0.126 हैक्टर नहरी कृषि द्य भूमि में से दमन सिंह पुत्र बुध सिंह के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 0.042 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक
दमन सिंह पुत्र बुध सिंह जाति तरखान निवासीयान चक 10 एफ बड़ा ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 7, 11 की कुल 4.478 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से दमन सिंह पुत्र बुधसिंह के नाम दर्ज 3011/4478 हिस्सा यानि 3.011 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकते है । उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, वादी को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की धमकियां देते रहते है ।6. यहकि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है। इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 01/03/2020 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर वाद निम्न प्रकार से डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :(क) कि चक 9 एफ बड़ा के खाता संख्या 55/51, खाता संख्या 56/52, खाता संख्या 141 व 106 में प्रतिवादी संख्या 1 दमन सिंह पुत्र बुधसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित टेबल अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 की बःहिस्सा बराबर बराबर घोषित की जावे।

(ख) उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा दिनांक 30.06.2020 को अपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसके मुताबिक उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने

Scanned with CamScanner

राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नही रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 56/52 के मुरब्बा नम्बर 9, 46, 50, 54, 55, 61 की कुल 10.765 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से दमन सिंह पुत्र बुधसिंह के नाम दर्ज 3462/10765 हिस्सा यानि **3.462** है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 141/111 के मुरब्बा नम्बर 49, 56 की कुल 1.683 है. नहरी कृषि भूमि में से दमण सिंह पुत्र बुध सिंह के नाम दर्ज 596/1683 हिस्सा यानि **0.596** है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 106 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 0.126 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से दमन सिंह पुत्र बुध सिंह के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि **0.042** है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी कुलविन्द्र सिंह पुत्र दम्मन सिंह, नूरइन्द्रसिंह पुत्र सुखविन्द्रसिंह जाति तरखान निवासीयान चक 10 एफ बड़ा ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) बहिस्सा बराबर बराबर बंटवारा में दी हुई है । अतः उक्त राजीनामानुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 नूरइन्द्र सिंह को उक्त अनुसार घरेलू बंटवारा में दी गई कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 नूरन्द्र सिंह की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम संयुक्त खाता में जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 9 एफ बड़ा, पटवार हल्का मिर्जेवाला खाता संख्या 55/51, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 9 एफ बड़ा, पटवार हल्का मिर्जेवाला खाता संख्या 56/52, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 9 एफ बड़ा, पटवार हल्का मिर्जेवाला खाता संख्या 141/111, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 9 एफ बड़ा, पटवार हल्का मिर्जेवाला खाता संख्या 106/85 संयुक्त खाता में पेश की। वादी द्वारा अपने दादा बुधसिह के नाम विरासतन इन्तकाल जमाबंदी ग्राम 9 एफ बड़ा, पटवार हल्का मिर्जेवाला खाता संख्या 158/58, विरासतन इन्तकाल जमाबंदी ग्राम 9 एफ बड़ा खसरा संख्या 48, 49, 56, जमाबंदी ग्राम 9 एफ बड़ा, पटवार हल्का मिर्जेवाला खाता संख्या 418/72 दस्तबरदारी दिनांक 06.07.2007 की फोटो प्रतियां पेश की। जिनका अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकारान मध्य राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः पक्षकारान के मध्य राजीनानमा होने से राजीनामा के आधार पर चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 56/52 के मुरब्बा नम्बर 9, 46, 50, 54, 55, 61 की कुल 10.765 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से दमन सिंह पुत्र बुधसिंह के नाम दर्ज 3462/10765 हिस्सा यानि 3.462 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक, चक 9

Scanned with CamScanner

एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 141/111 के मुरब्बा नम्बर 49, 56 की कुल 1.683 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से दमण सिंह पुत्र बुध सिंह के नाम दर्ज 596/1683 हिस्सा यानि 0.596 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक, चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 106 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 0.126 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से दमन सिंह पुत्र बुध सिंह के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 0.042 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी कुलविन्द्र सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 4 नूरइन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर बराबर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ॠण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04.08.2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner